अंत्योदया–सरल

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना

पात्रताः

1. बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम हो।
2. हरियाणा का अधिवासी हों और हरियाणा राज्य में रह रहा हो।
3 बच्चे माता–पिता की सहायता या देखभाल से वचिंत निम्नलिखित कारणो से;

क मृत्यु के कारण या;

ख पिता अतिंम दो वर्षो से उसके पिता के घर से निरंतर अनुपस्थित होने के कारण या;

ग माता–पिता को एक वर्ष से अधिक अवधि की कारावास से दण्डित किया गया है या;

घ माता–पिता की शारीरिक /मानसिक अक्षमता।

हानि के समर्थन में दस्तावेज (निम्न में से कोई भी दस्तावेज यदि आवश्यक हो तो हानि के समर्थन में प्रस्तुत किया जा सकता है)।

क पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।

ख कानूनी अभिवावक प्रमाण पत्र।

ग निराश्रित प्रमाण पत्र।

4 माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अपवाद

उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि किसी बच्चे की देखभाल करने वाला या माता पिता सरकारी अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय या किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय से वितीय सहायता प्राप्त संगठन से पैंशन प्राप्त कर रहा/रही है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नही होगा/होगी। सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ''पैंशन'' से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैः

* प्रोविडेंट फण्ड, अथवा

* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वितीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

अंत्योदया–सरल

उपलब्ध लाभः

1. एक बच्चे हेतु रू0 1600/– प्रति मास ।
2. दो बच्चों हेतु रू0 3200/– प्रति मास ।

नोटः– परिवार में दो बच्चों तक लाभ दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेजः

1. आयु के सम्बन्ध में

क शैक्षणिक या तकनीकि संस्थान के मुखिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें उसने अंतिम बार भाग लिया हो या;

ख आवेदक को व्यक्तितगत रूप से जानने वाले केन्द्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी से एक प्रमाण पत्र या;

ग एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक हलफनामा।

2. निवास सबूतः (निम्नलिखित में से स्वंय सत्यापित एक जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):–
   - राशन कार्ड। (खादय एंव पूर्ती विभाग, हरियाणा)
   - मतदाता पहचान–पत्र। (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
   - मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम उसकी फोटो के साथ दिखाया गया है (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
   - उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है, वह सैल्फ डिक्लेरेशन देंगे जिसकी वैरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जायेगी।

3 अन्य दस्तावेज
   - आधार कार्ड (ऐच्छिक)
   - आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटी प्रति सहित।
   - आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

अंत्योदया–सरल

डिजिटल हरियाणा

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 30/–	रू0 30/–

सेवा का अधिकार समय सीमा: 60 दिन।